2025:CGHC:25193-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 124/2018

{किशोर न्यायालय (बालक न्यायालय)/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), कोरबा के विशेष (किशोर)प्रकरण क्रमांक 3/2016 में दिनांक 27-9-2017 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत}

X {विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की माता द्वारा}

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना, चौकी रामपुर, पुलिस थाना कोतवाली, कोरबा, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री मिर्ज़ा केशर बेग, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से	:	श्री राहुल तामस्कर, शासकीय अधिवक्ता तथा श्री एच.ए.पी.एस. भाटिया, पैनल अधिवक्ता।
न्याय मित्र	:	श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

बोर्ड पर निर्णय

(18/06/2025)

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल,

1. इस दाण्डिक अपील में अन्तर्वलित संक्षिप्त परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन गठित बालक न्यायालय, यहाँ अपीलार्थी-विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (संक्षेप में 'सीसीएल') को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन और किशोर न्याय (बालक का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में '2015 का

अधिनियम') की धारा 19(1) के अधीन विचारण चलाकर उक्त अपराध को जघन्य मानते हुए अपराध के लिए दोषसिद्ध किया तथा आजीवन कारावास से दण्डित किया, न्यायोचित है?

2. उपर्युक्त विधि का प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर अवधारणार्थ प्रोद्भूत है: –

3. वर्तमान अपील विधि का उल्लंघन करने वाले बालक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन किशोर न्यायालय(बालक न्यायालय)/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), कोरबा द्वारा विशेष (किशोर) प्रकरण क्रमांक 3/2016 में दिनांक 27–9–2017 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को चुनौती देते हुए,प्रस्तुत की गई है। इस आदेश में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास और ₹2,000/– का अर्थदण्ड,अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. थाना प्रभारी, पुलिस चौकी रामपुर, पुलिस थाना कोतवाली, कोरबा ने किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा के समक्ष लगभग 17 वर्षीय विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने हेतु अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड ने दिनांक 28–9–2016 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु 16 से 18 वर्ष के मध्य प्रतीत होती है और इसलिए उसने 2015 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रारंभिक निर्धारण करने का निर्णय लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध 2015 के अधिनियम की धारा 2(33) के अर्थ में "जघन्य अपराध" है और तदनुसार, मनोवैज्ञानिक श्री संजय तिवारी से ऐसे अपराध कारित करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में उसने कथित रूप से अपराध किया, उनके संबंध में प्रारंभिक जांच/रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट अंततः 16–6–2016 को प्राप्त हुई और अंततः, सीसीएल द्वारा नियुक्त विद्वान अधिवक्ता के अभिवचनों सुनने के उपरांत, किशोर न्याय बोर्ड ने सीसीएल के प्रकरण का प्रारंभिक निर्धारण किया और दिनांक 30–11–2016 को आदेश पारित किया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के अधीन बालक पर एक वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और प्रकरण को बालक न्यायालय अर्थात बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन गठित बालक न्यायालय, कोरबा जिसके पास अपराधों पर विचार करने का अधिकार है,को स्थानांतरित कर दिया ।

5. बालक न्यायालय, कोरबा ने दिनांक 9–12–2016 को किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा से अभिलेख प्राप्त होने पर यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि चूँकि यह प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड से 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया है और बालक न्यायालय, कोरबा को प्रकरण पर विचारण की अधिकारिता है, इसलिए प्रकरण को विशेष प्रकरण क्रमांक 3/2016 के रूप में पंजीबद्ध किया जाए और प्रकरण की विचारण 2015 के अधिनियम की धारा 19(1)(i) और (ii) के अधीन विहित की जाए, और अंततः, दिनांक 7–3–2017 को यह अभिनिर्धारित किया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार बालक पर एक वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और अंततः, दिनांक 7–4–2017 को सीसीएल के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और विचारण पूर्ण होने के उपरांत, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन सिद्धदोष किया गया और उसे आजीवन कारावास और ₹2,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

6. दोषसिद्धि और दण्डादेश से व्यथित होकर, सीसीएल यानी वर्तमान अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें इसकी वैधता,विधिमान्यता और औचित्यता को प्रश्नगत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी/सीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्ज़ा केशर बेग का तर्क है कि बालक न्यायालय द्वारा सीसीएल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध करना बिल्कुल अनुचित है, जो पूर्णतः असंधारणीय और विधि की दृष्टि में अनुचित है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क किया कि प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट की प्रतिलिपि सीसीएल द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को नहीं दी गई है क्योंकि रिपोर्ट का परिशीलन करने और अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया और आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित कर दिया गया।

8. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने श्री राहुल तामस्कर ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क किया हैं कि 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन किया गया प्रारंभिक निर्धारण बालक को विचारण का अवसर देने के उपरांत विधि के अनुसार किया गया है और इसी प्रकार, बालक न्यायालय द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 19(1)(i) के अधीन बालक को विचारण का अवसर देने के उपरांत जाँच भी की गई है और इस प्रकार, बालक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि के अनुसार है उनका आगे तर्क हैं कि चूँकि बालक न्यायालय ने बालक की समयपूर्व रिहाई पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए 2015 के अधिनियम की धारा 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस प्रकार, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. श्री ऋषि राहुल सोनी, विद्वान अधिवक्ता ने, न्याय मित्र के रूप में उपस्थित होकर, निम्नानुसार प्रस्तुत किया: –

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उक्त अपराध के लिए कोई न्यूनतम दण्ड विहित नहीं की गई है और इस प्रकरण के दृष्टिगत, यह 2015 के अधिनियम की धारा 2(54) के अधीन परिभाषित घोर अपराध की परिभाषा के अधीन आएगा और इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने **शिल्पा मित्तल विरुद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) व अन्य**[1] प्रकरण में दिया है। एक बार जब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (सीसीएल) पर घोर अपराध कारित करने का आरोप लगाया जाता है, तो सीसीएल पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 14(5)(ड़) में विहित प्रक्रिया के अनुसार विचारण चलाया जाना चाहिए, क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता में समन प्रकरण के रूप में विहित प्रक्रिया के अनुसार विचारण चलाया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यदि अपराध को जघन्य अपराध माना भी जाता है, तो भी 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन प्रारंभिक जाँच की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए, किंतु वर्तमान प्रकरण में, सीसीएल को विचारण का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बरुण चंद्र ठाकुर विरुद्ध मास्टर भोलू व एक अन्य**[2] के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था और इसलिए, अपनाई गई पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है।

3. अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात भी, विद्वान बालक न्यायालय ने 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई और जाँच नहीं की, जो अनिवार्य प्रकृति की है और इसलिए आगे की जाँच न करने के कारण, जो कि सीसीएल की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन के अनुसार नहीं की गई है, बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता बताने वाला आदेश, **अजीत गुर्जर विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[3] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के विपरीत है।

---

1 (2020) 2 SCC 787
2 (2023) 12 SCC 401
3 (2023) 15 SCC 678

4. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक पर आजीवन कारावास का दण्ड अधिरोपित किया गया है जो अधिनियम 2015 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के विपरीत है, अतः आक्षेपित निर्णय पूर्णतः अपास्त किए जाने योग्य है और प्रकरण को पुनः प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या विद्वान किशोर न्याय बोर्ड और विद्वान बालक न्यायालय यह मानने में न्यायसंगत हैं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध, 2015 के अधिनियम की धारा 2(33) के अर्थ में जघन्य अपराध है?

12. अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार करने हेतु, 2015 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (33) में परिभाषित जघन्य अपराध के अर्थ पर विचार करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" (33) जघन्य अपराध के अधीन ऐसे अपराध आते है, जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता(1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दण्ड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है: "

13. इसी प्रकार, अधिनियम 2015 की धारा 2 के खंड (54) में घोर अपराध को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है: –

"(54) " घोर अपराध" के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते है, जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारावास का दण्ड तीन से सात वर्ष के मध्य है;"

14. संसद ने 2015 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (54) को प्रतिस्थापित करके "घोर अपराधों" की परिभाषा में संशोधन किया है, जो दिनांक 1–9–2022 से लागू हुआ। "घोर अपराधों" की संशोधित परिभाषा निम्नानुसार है: –

"(54) " घोर अपराध" के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते है, जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन–

(क) तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दण्ड का उपबंध है; या

(ख) सात वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है किंतु कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है;

15. अधिनियम 2015 की धारा 2(33) में निहित "जघन्य अपराध" की परिभाषा का सावधानीपूर्वक परिशीलन से ज्ञात होता है कि इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अन्तर्गत न्यूनतम सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दण्ड विहित किया गया है, जबकि धारा 2(54) में निहित "घोर अपराध" की परिभाषा से ज्ञात होता है कि इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अन्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अधिक का कारावास या अधिकतम सात वर्ष से अधिक का कारावास है, किंतु न्यूनतम कारावास या सात वर्ष के न्यूनतम कारावास विहित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह प्रश्न कि क्या किसी अपराध को "जघन्य अपराध" कहा जा सकता है या "घोर अपराध" अब एकीकृत नहीं रह गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा **शिल्पा मित्तल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इसका निर्णय लिया गया है जिसमें उनके समक्ष प्रश्न यह था कि "क्या 7 वर्ष से अधिक के कारावास का अधिकतम दण्ड विहित करने वाला अपराध किंतु कोई न्यूनतम दण्ड का उपबंध नहीं करता है, या न्यूनतम 7 वर्ष से न्यूनतम दण्ड का उपबंध करता है, किशोर न्याय (बालक का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(33) के अर्थ में "जघन्य अपराध" माना जा सकता है? "। माननीय न्यायाधिपतिगण ने इस विवाद्यक पर विचार किया और प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए अभिनिर्धारित किया कि ऐसा अपराध जो न्यूनतम 7 वर्ष का दण्ड उपबंधित नहीं करता है उसे जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता है और 2015 का अधिनियम अपराधों की चौथी श्रेणी अर्थात ऐसे अपराध जहाँ अधिकतम दण्ड 7 वर्ष से अधिक कारावास है, किंतु कोई न्यूनतम दण्ड या 7 वर्ष से न्यूनतम दण्ड का उपबंध नहीं है, उसे 2015 के अधिनियम के अर्थ में "घोर अपराध" माना जाएगा। यह निम्नानुसार अवधारित किया गया है: –

"36. उपरोक्त विमर्श के दृष्टिगत, हम अपील का निपटान करते हैं निर्णय के प्रथम भाग में दिए गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हुए और यह मानते हैं कि ऐसा अपराध जिसमें न्यूनतम 7 वर्ष के दण्ड का उपबंध नहीं है, उसे जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता।

यद्यपि, हमने जो उपरोक्त अभिनिर्धारित किया है, उसके दृष्टिगत, अधिनियम चतुर्थ श्रेणी के अपराधों से संबंधित नहीं है, जैसे कि ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम दण्ड 7 वर्ष से अधिक कारावास है, किंतु कोई न्यूनतम दण्ड या 7 वर्ष से न्यूनतम दण्ड का उपबंध नहीं है, उन्हें अधिनियम के अर्थ में "घोर अपराध" माना जाएगा और संसद द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिए जाने तक तदनुसार निपटा जाएगा।

37. हम यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आक्षेपित निर्णय में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का नाम उजागर किया गया है। यह 2015 के अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। हम उच्च न्यायालय को निर्देशित करते हैं कि वह निर्णय में सुधार करे और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का नाम हटायें।

17. यद्यपि, बाद में, **शिल्पा मित्तल** (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा घोषित विधि का संज्ञान लेते हुए, संसद ने 2015 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (54) को 2021 के अधिनियम 23 द्वारा प्रतिस्थापित करके "घोर अपराधों" की परिभाषा में संशोधन किया है, जो दिनांक 1– 9–2022 से लागू हुआ। इस प्रकार, 2015 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (54) में निहित "घोर अपराधों" की असंशोधित परिभाषा से, यह स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए, कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष से कम कारावास का न्यूनतम दण्ड विहित नहीं किया गया है और इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध को 2015 के अधिनियम की धारा 2(33) की परिभाषा के अधीन "जघन्य अपराध" नहीं माना जा सकता है और **शिल्पा मित्तल** (पूर्वोक्त) प्रकरण में पारित निर्णय के आलोक में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध, 2015 के अधिनियम की धारा 2(54) के अधीन घोर अपराध की श्रेणी में आएगा। अब, "घोर अपराध" की परिभाषा में संसद द्वारा पूर्व ही संशोधन किया जा चुका है और यद्यपि वर्तमान प्रकरण में, अपराध संशोधन से बहुत पूर्व दिनांक 16–6–2016 को किया गया बताया गया था, यह केवल इसी श्रेणी में आएगा। "घोर अपराध" की श्रेणी में आता है और इसलिए, किशोर न्याय बोर्ड और बालक न्यायालय दोनों का यह मानना पूर्णतः अनुचित है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध एक जघन्य अपराध है। फलस्वरूप, किशोर न्याय बोर्ड को 2015 के अधिनियम की धारा 14(5)(ड़) के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक था और वह धारा 307 के अधीन अपराध की जांच का सहायक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन प्रकरणों में विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन कर सकता था। मूलतः, आक्षेपित निर्णय एकमात्र इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है। फिर भी, हम इस पर विचार करने का प्रस्ताव रखते हैं कि क्या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय ने 2015 के अधिनियम में निहित उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया है सीसीएल पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है?

18. 2015 के अधिनियम की धारा 15, बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों की जाँच करने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था का भी विचार रखा जाता है । 2015 के अधिनियम की धारा 15 में निम्नानुसार प्रावधान हैं: –

> **15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण–**(1) किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा
>
> परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।
>
> स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को विहित करना है।
>
> (2) जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि प्रकरण का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन प्रकरण के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा
>
> परंतु बोर्ड का प्रकरण के निपटारा करने का आदेश धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपीलनीय होगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

19. 2015 के अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (3) में प्रावधान है कि जहाँ धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण के बाद बोर्ड का इस बात से समाधान हो जाता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो वह प्रकरण का विचारण ऐसे अपराधों पर विचार करने के अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बरुन चंद्र ठाकुर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पारित निर्णय पर विचार किया जा सकता है, जिसमें उनके माननीय न्यायाधिपतिगण ने बोर्ड द्वारा जाँच करने के तरीके और प्रक्रिया पर विचार किया है कि क्या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक पर बालक न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में या बोर्ड द्वारा स्वयं उसे बालक मानते हुए विचारण चलाया जाना है। और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक पर बालक न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो इसमें गंभीर प्रकृति के परिणाम शामिल होते हैं और बालक के पूरे जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, और इसके गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, अतः युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह निम्नानुसार अवधारित गया है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"प्रारंभिक निर्धारण आदेश का प्रभाव"

47. प्रारंभिक निर्धारण आदेश यह नियत करता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले, 16–18 वर्ष की आयु वर्ग के और जघन्य अपराध कारित करने वाले बालक पर बालक न्यायालय द्वारा या स्वयं बोर्ड द्वारा उसे बालक मानते हुए वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाएगा या नहीं। 2015 के अधिनियम में दो प्रमुख परिणाम दिए गए हैं, यदि बालक पर बालक न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है। पहला, यदि बालक पर बालक न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो सजा या दण्ड आजीवन कारावास तक हो सकता है, जबकि यदि बालक पर बोर्ड द्वारा बालक के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो अधिकतम दण्ड 3 वर्ष का हो सकता है। दूसरा प्रमुख परिणाम यह है कि जहां बोर्ड द्वारा बालक पर बालक के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो धारा 24(1) के अधीन, उसे किसी अपराध के दोषसिद्धि से जुड़ी कोई निर्हरता नहीं मिलेगी, जबकि उक्त निर्हरता को हटाने से धारा 24(1) के प्रावधान के अनुसार, बालक न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में विचारण किए गए बालक के लिए उपलब्ध है। एक अन्य परिणाम, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, वह यह है कि धारा 24(2) के अनुसार, जहाँ बोर्ड या बालक न्यायालय,

प्रकरण समाप्त होने के उपरांत, पुलिस या रजिस्ट्री को निर्देशित कर सकता है कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख अपील की समाप्ति की अवधि के बाद या विहित उचित अवधि के बाद नष्ट कर दिए जाएँ। जबकि, जब किसी बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किया जाता है, तो संबंधित अभिलेख धारा 24(2) के प्रावधान के अनुसार, संबंधित न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखे जाएँगे।

48. ये परिणाम गंभीर प्रकृति के हैं और बालक के पूरे जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं यह सुस्थापित है कि किसी भी आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होने पर, युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि ऐसे प्रकरण में युक्तियुक्त अवसर क्या होगा जहाँ बोर्ड द्वारा धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण किया जाना है।"

20. तत्पश्चात, माननीय न्यायाधिपतिगण ने इस प्रश्न पर विचार किया कि ऐसे प्रकरण में युक्तियुक्त अवसर क्या होगा जहाँ बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा और यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 15(1) के प्रावधान में "हो सकता है" अभिव्यक्ति और अनुभवी शरीरक्रिया विज्ञानियों या मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता अनिवार्य मानी जाएगी जब तक कि बोर्ड में स्वयं कम से कम एक सदस्य ऐसा न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में उपाधि प्राप्त पेशेवर हो। माननीय न्यायाधिपतिगण ने निम्नानुसार अवधारित किया है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**83.** इसलिए, 2015 के अधिनियम के प्रयोजन और इसके विधायी प्रयोजन, विशेष रूप से बालक के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, धारा 15(1) के प्रावधान में "हो सकता है" अभिव्यक्ति और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता अनिवार्य मानी जाएगी, जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य ऐसा न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में उपाधि प्राप्त पेशेवर हो। इसके अतिरिक्त, यदि बोर्ड, अपनी स्वयं की संरचना को देखते हुए, जिसमें कम से कम एक सदस्य बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में उपाधि प्राप्त पेशेवर हो, ऐसी सहायता नहीं लेना चाहता है, तो वह इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करेगा।

निष्कर्ष

85. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रारंभिक निर्धारण करने की शक्ति बोर्ड और धारा 15 और 19 के अधीन बालक न्यायालय में निहित है। बालक न्यायालय, धारा 18(3)

के अधीन किसी प्रकरण को संदर्भित किए जाने पर, स्वयं ही यह जाँच करेगा कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाना है या नहीं, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण नहीं चलाया जाना है तो वह स्वयं एक बोर्ड के रूप में जाँच करेगा और धारा 18 के अधीन उचित आदेश पारित करेगा। इस प्रकार, प्रारंभिक निर्धारण करने की शक्ति बोर्ड और बालक न्यायालय के पास है। यह न्यायालय प्रारंभिक निर्धारण के अभ्यास पर गहन विचार नहीं कर सकता। यह न्यायालय केवल इस बात की जाँच करेगा कि प्रारंभिक निर्धारण विधि के अधीन अपेक्षित रूप से किया गया है या नहीं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी, धारा 102 के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड या बालक न्यायालय के निर्णय की केवल वैधता या औचित्य के संबंध में ही जाँच करेगा। वर्तमान प्रकरण में, उच्च न्यायालय, अभिलेख पर प्रस्तुत सीमित सामग्री पर विचार करने के उपरांत, इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और जिसके लिए, उसने प्रकरण को बोर्ड को प्रतिप्रेषित किया है और आगे के निर्देशित किया हैं कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ और नया निर्णय लेने से पूर्व बालक को पर्याप्त अवसर भी दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. यद्यपि, किशोर न्याय बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अनुभवी मनोवैज्ञानिक श्री संजय तिवारी की रिपोर्ट ही मँगवाई गई है और रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी किशोर न्याय बोर्ड के अधिवक्ता को नहीं दी गई है और दिनांक 30–11–2016 का आदेश पारित किया गया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के अधीन बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, जो कि 2015 के अधिनियम में इस संबंध में निहित प्रावधानों का पूर्णतः गैर–अनुपालन है। इस प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड का आदेश और साथ ही आक्षेपित निर्णय और बालक न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

22. तृतीय आधार जिस पर बालक न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है, वह यह है कि एक बार जब किशोर न्याय बोर्ड ने 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के अधीन प्रकरण बालक न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया है, तो इसके बाद, बालक न्यायालय को धारा 19(1)(i) के अधीन जांच करनी होगी और तत्पश्चात, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार विचारण के लिए आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में, 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) में निहित प्रावधान विचार करने योग्य हैं: –

19. बालक न्यायालय की शक्तियाँ–(1) धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात् बालक न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि :–

(i) बालक का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के (1974 का 2) उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और वह विचारण के पश्चात् इस धारा और धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बालक की विशेष आवश्यकताओं, ऋजु विचारण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकेगा :

23. 2015 के अधिनियम की धारा 19(1)(i) में निहित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर ज्ञात होता है कि धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, बालक न्यायालय यह विनिश्चय करना होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार बालक पर एक वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और उसके बाद, धारा 19 और धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बालक की विशेष आवश्यकताओं, ऋजु विचारण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित करना होगा। 2015 के अधिनियम की धारा 19(1)(i) में निहित प्रावधानों पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अजीत गुर्जर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विचार किया जिसमें उनके माननीय न्यायाधिपतिगण ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 19(1)(i) के अधीन जाँच करना कोई औपचारिकता नहीं है और धारा 19(1) में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" को "होगा" पढ़ा जाना चाहिए, और निम्नानुसार अवधारित किया गया: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. धारा 19 की उप–धारा (1) के दो भाग हैं। पूर्व भाग में बालक न्यायालय को यह निर्णय लेना आवश्यक है कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है। यदि न्यायालय को इस बात का समाधान है कि बालक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो बालक न्यायालय विचारण को आगे बढ़ा सकता है और उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम की धारा 19 और 21 के प्रावधानों के अधीन एक समुचित आदेश पारित कर सकता है।

10. धारा 19 की उप–धारा (1) का खंड (ii) अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि यद्यपि धारा 19 की उप–धारा (1) के आरंभिक भाग में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। खंड (ii) में प्रावधान है कि यह जाँचने के बाद कि क्या बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, यदि बालक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रकरण को बोर्ड को

प्रतिप्रेषण करने के बजाय, न्यायालय स्वयं किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार जाँच करने और समुचित आदेश पारित करने के लिए अधिकृत है। एक बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में विचारण करने के परिणाम भिन्न–भिन्न होते हैं।

11. इसलिए, धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (i) के अनुसार जाँच करना कोई औपचारिकता नहीं है। कारण यह है कि यदि बालक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह इस अर्थ में भिन्न व्यवहार का हकदार होगा कि उसके विरुद्ध केवल किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18 के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है।

12. उच्च न्यायालय का यह अवलोकन कि धारा 18 की उप–धारा (3) के अधीन पारित आदेश अंतिम हो गया है, इस बात की पूर्णतः अनदेखी करता है कि धारा 18 की उप–धारा (3) के अधीन पारित आदेश, बालक पर वयस्क के रूप में विचारण करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय नहीं है। इसका कारण यह है कि धारा 18 की उप–धारा (3) के अधीन पारित आदेश धारा 15 के अधीन किए गए प्रारंभिक निर्धारण पर आधारित है। चूँकि ऐसा आदेश केवल प्रारंभिक निर्धारण पर आधारित है, इसलिए विधि धारा 19 की उप–धारा (1) के अनुसार सक्षम बालक न्यायालय द्वारा आगे की जाँच का प्रावधान करता है। इसलिए, बालक न्यायालय धारा 19 की उप–धारा (1) के खंड (i) के अधीन जाँच करने की आवश्यकता को अनदेखा नहीं कर सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए, बालक न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की गई प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट का अवलंब लिया और बालक न्यायालय द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 19(1)(i) के अधीन कोई और जाँच संचालित या अभिनिर्धारित नहीं की गई और केवल सीसीएल के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुनने के उपरांत, धारा 19(1) के अधीन दिनांक 27–9–2017 को आदेश पारित किया गया जो 2015 के अधिनियम की धारा 19(1)(i) में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है। यहाँ तक कि अभिलेख में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट की प्रतिलिपि सीसीएल द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन यह कहते हुए दी गई हो कि बालक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार एक वयस्क के रूप में विचारण किया जाना चाहिए और यह दर्शाने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि बालक द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को रिपोर्ट का परिशीलन और अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। अतः, इस आधार पर भी, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

25. अंत में, बालक न्यायालय ने अधिनियम 2015 की धारा 21 में निहित अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन न करके गंभीर कानूनी त्रुटि की है, जो निम्नानुसार है: –

> **21. आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध पारित न किया जा सकेगा–** विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जाएगा।

26. इस प्रकार, 2015 के अधिनियम की धारा 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी बालक को ऐसे किसी भी अपराध के लिए, 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, रिहाई की संभावना के बिना, मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में, बालक न्यायालय ने 2015 के अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन करते हुए बालक को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त विमर्श के फलस्वरूप, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध केवल एक "घोर अपराध" है जैसा कि 2015 के अधिनियम की धारा 2(54) के अधीन परिभाषित किया गया है और यह **शिल्पा मित्तल** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में "जघन्य अपराध" की श्रेणी में नहीं आता और इसलिए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 14(5)(ड़) के अधीन "घोर अपराध" के रूप में जाँच की जा सकती थी, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन समन प्रकरणों में विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता और इसे बालक न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जा सकता था। अन्यथा भी, 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन प्रदान किए गए विचारण का युक्तियुक्त अवसर बालक को प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बरुण **चंद्र ठाकुर** (पूर्वोक्त) में विहित किया था और धारा 19(1) के अधीन अपेक्षित आगे की जाँच बालक न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अजीत गुर्जर** (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त, बालक न्यायालय द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 21 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। फलस्वरूप, हम बालक न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, को यथावत रखने में असमर्थ हैं।

28. तदनुसार, किशोर न्यायालय (बाल न्यायालय)/अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), कोरबा द्वारा विशेष(किशोर)प्रकरण क्रमांक 3/2016 में पारित दिनांक 27–9–2017 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/सीसीएल को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसे अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उसका जमानत बंधपत्र उन्मोचित माना जाता है।

29. दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित बालक न्यायालय और समस्त किशोर न्याय बोर्डों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. प्रकरण के निपटान करते समय, हमें यह विचार रखना चाहिए कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक अर्थात् अपीलार्थी का नाम/पहचान इस अपील ज्ञापन के वाद शीर्षक में और साथ ही विचारण न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट किया गया है, जिसका प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह 2015 के अधिनियम की धारा 74 में निहित प्रावधानों के विपरीत है, जिसका निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने **शिल्पा मित्तल** (पूर्वोक्त) प्रकरण में भी दिया है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान अपील में अपीलार्थी का नाम वाद शीर्षक में न दर्शाया जाए, बल्कि इसे "X { विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की माता द्वारा}" के रूप में दर्शाया जाए और इस संबंध में, बालक न्यायालयों को निर्दशित किया जाता है कि वे 2015 के अधिनियम की धारा 74 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन करें और **शिल्पा मित्तल** (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

31. हम विद्वान न्यायमित्र श्री ऋषि राहुल सोनी; अपीलार्थी/विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्जा केशर बेग; और विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस प्रकरण में उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

सही/– (संजय के. अग्रवाल) **न्यायाधीश**	सही/– (दीपक कुमार तिवारी) **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur